संख्या–1747/ XVII–2/20–19(05) 2019

प्रेषक,

एल॰फैनई,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

देहरादून : दिनांक 11 फरवरी, 2020

समाज कल्याण अनुभाग–2

विषयः–मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–578/2019 के अन्तर्गत वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3178/स0क0/पेंशन वृद्धि/2019–20 दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 के क्रम में मा॰मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा संख्या–578/2019 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं दिव्यांग पेंशन योजनाओं की वर्तमान दर ₹ 1000/– प्रतिमाह में ₹ 200/– प्रतिमाह की दर से वृद्धि किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्तानुसार बढ़ाई गई दरें 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

3– उक्त वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत बढ़ी हुई दरों में केन्द्रांश भी सम्मिलित है।

4– योजनान्तर्गत दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत शासनादेश संख्या–727/XVII-2/16–39(विविध)/2002–टीसी दिनांक 27 मई, 2016 एवं शासनादेश संख्या–883/XVII-2/16–01(02)/2010 दिनांक 17 जून, 2016 तथा अन्य सम्बन्धित शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशा॰प॰सं॰–228(म॰)/XXVII(3)/2019 दिनांक 10 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एल॰फैनई)
सचिव।

क्रमशः– पृष्ठ 2

पृष्ठांकन संख्याः– / XVII–2 / 20–19(05) 2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3– वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4– वरिष्ठ निजी सचिव, मा॰ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
5– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, उत्तराखण्ड।
6– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7– अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन।
8– अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
9– आयुक्त, कुमांऊ / गढ़वाल, नैनीताल / पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
10–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
13–निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14–समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15–समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16–मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग–4) उत्तराखण्ड शासन।
17–वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
18–गार्ड फाईल।

(एल॰फैनई)
सचिव।